

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प
चांदेलाव

वादी

बनाम


प्रतिवादी

समुदेवी

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या-174/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.11.2021	<p>प्रार्थी समुदेवी पुत्री मंगलदास जाति साद निवासी चांदेलाव तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प चांदेलाव में धारा-88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 441/35 रकबा 2.4270 हैक्टेयर स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता मंगलदास पुत्र जगनदास की थी। मंगलदास का देहान्त 45 वर्ष पूर्व हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1288 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम समुदेवी के बजाय सुमन लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम समुदेवी है तथा सरकारी दस्तावेज भी समुदेवी के नाम से जारी किये हुए हैं अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में सुमन पुत्री मंगलदास के स्थान पर समुदेवी पुत्री मंगलदास की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी समुदेवी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी समुदेवी का आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधारकार्ड, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 441/35 रकबा 2.4270 हैक्टेयर (समुदेवी पुत्री मंगलदास) आदि पेश किये हैं। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत चांदेलाव द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 गोविन्ददास पुत्र मोहनदास जाति साद निवासी चांदेलाव के बयान</p>	

कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में सुमन लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम समुदेवी के बजाय सुमन दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 441/35 रकबा 2.4270 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में सुमन पुत्री मंगलदास के स्थान पर **समुदेवी पुत्री मंगलदास** जाति साद निवासी चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक

निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम चांदेलाव में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प चांदेलाव

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
समुदेवी पुत्री मंगलदास जाति साद निवासी चांदेलाव तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 174/2021

2021

निर्णय

दिनांक :- 29.11..

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या-1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुकम दिया जाता है कि ग्राम गाम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 441/35 रकबा 2.4270 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में सुमन पुत्री मंगलदास के स्थान पर **समुदेवी पुत्री मंगलदास** जाति साद निवासी चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत् -
खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		

स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा